

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

वरदुगिर

बनाम

किशनगिर

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर

248/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
27/05/24	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>वरदुगिर</u></p> <p>पिता श्री <u>किशनगिर गुताई</u></p> <p>निवासी- <u>ऐराण</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ नूे ग्राम <u>ऐराण (तह. चित्तौड़गढ़)</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>2 वाता सख्या 287</u> में अंकित आराजी कीता 04 कुल रकबा 0.4650 एवं 2 वाता सख्या 143 में अंकित आराजी कीता 7 कुल रकबा 1.7200 है।</p> <p>कुल कीता <u>4+7=11</u> कुल रकबा <u>2.1850</u> है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p><u>ऐराण (तह. चित्तौड़गढ़)</u></p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>ऐराण (तह. चित्तौड़गढ़)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>2 वाता सख्या 287</u> में अंकित आराजी कीता 04 कुल रकबा 0.4650 एवं 2 वाता सख्या 143 में अंकित आराजी कीता 7 कुल रकबा 1.7200 है।</p> <p>कुल कीता <u>4+7=11</u> रकबा <u>2.1850</u> है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>2000=00</u> रूपये अक्षरे <u>दो हजार स्या</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><u>बीनू देवल</u> सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>